विलोपित विलोपित

समक्ष : माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2019(श्योपुर) निगरानी - 0415/2019/श्योपुर/

श्री अशोक राठौर एड. द्वारा आज दि० 19-3-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-4-19 नियत। कलर्क ऑफ कोर्ट 19-3-19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रामबाबू पुत्र स्व.श्री रामनारायण, उम्र 36 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी–वार्ड नं. 04 कस्वा बड़ौदा, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर म.प्र. .... **निगरानीकर्ता**

बनाम

म.प्र. शासन जर्ये कलेक्टर श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र. .... **गैरनिगरानीकर्ता**

Ashok Rathore Adv

निगरानी विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त चंम्बल संभाग मुरैना म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 83/18 अपीलमाल मे पारित अन्तिम आदेश दिनांक 04.02.2019 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता।

मान्यवर महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 0415/2019/श्योपुर/भू0रा0

रामबाबू विरूद्ध म0प्र0 शासन जर्ये कलेक्टर श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–5–2019	आवेदक अभिभाषक श्री अशोक राठौर उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा कायमी पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। पूर्व पेशी दिनांक 11–4–2019 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण को निगरानी के स्थान पर अपील में दर्ज करने के आदेश दिये थे। इसलिए इस प्रकरण का निराकरण अपील मानकर किया जा रहा है। 3/ प्रकरण में उपलब्ध प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा कस्बा बड़ौदा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 4005 रकवा 0.637 हे0 को तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग को निशुल्क आवंटित किया गया। कलेक्टर ने शासकीय भूमि को शासकीय उपकम को आवंटन को अपर आयुक्त ने उचित पाया है। अपर आयुक्त ने सकारण आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील को सारहीन एवं अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से यह प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर. के. जैन) सदस्य	